सप्तदश माला, खंड 19, अंक 10

शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022

7 श्रावण, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 19 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

रणविजय कुमार राव
संयुक्त निदेशक

मनोज कुमार
उप निदेशक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 19, नौवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 / 7 श्रावण 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के लिखित उत्तर	11
तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200	11
अतारांकित प्रश्न सं 2071 से 2137, 2139 से 2194 और 2196 से 2300	11

सभा पटल पर रखे गए पत्र 13-42

राज्य सभा से संदेश 43

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन 44

उद्योग संबंधी स्थायी समिति 44

317वां प्रतिवेदन

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 45-47

(एक) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अर्जुन राम मेघवाल 45

(दो) (क) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति 46

(ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अर्जुन राम मेघवाल 47

सभा का कार्य 48

नियम 377 के अधीन मामले 49-62

(एक) ओडिशा के कालाहाण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप की स्थापना के बारे में

श्री बसंत कुमार पांडा 49-50

(दो) राजस्थान में झुन्झुनू से पचेरी तक एन.एच.-11 को चार लेन में परिवर्तित किए जाने और चिड़ावा एवं सिंघाना में बाईपास सड़क का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री नरेन्द्र कुमार 51

(तीन) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के किसानों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने के बारे में

श्री अनुराग शर्मा 52

(चार) महाराष्ट्र के माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में "खेलो इंडिया" केंद्रों की स्थापना के बारे में

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक-निम्बालकर 53

(पांच) राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से मध्य प्रदेश के जावरा को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के बारे में

श्री सी.पी. जोशी 54

(छह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 को दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राई-साइकिल वितरण शामिल करने के उद्देश्य से संशोधित किए जाने के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी 55

(सात) धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर शहर रेल लाइन परियोजना के बारे में।

डॉ. मनोज राजोरिया 56

(आठ) यमुना एक्सप्रेस-वे का विस्तार हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब तक किए जाने के बारे में

श्री संजय भाटिया 57

(नौ) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूरसंचार को सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल टॉवर लगाए जाने की आवश्यकता

श्री बिद्युत बरन महतो 58

(दस) बिहार में कोसी परियोजना के बारे में

श्री अशोक कुमार यादव 59

(ग्यारह) अग्निपथ योजना के बारे में

श्री हैबी ईडन 60

(बारह) उज्जवला योजना के लाभार्थियों के बारे में

श्री कुरुवा गोरांतला माधव 61

(तेरह) भारी वर्षा से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता के बारे में

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 62

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉक्टर (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 / 7 श्रावण, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी** *पीठासीन हुए*]

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0 ½ बजे

इस समय श्री बैन्नी बेहनन, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न सं 181 से 200

अतारांकित प्रश्न सं 2071 से 2137, 2139 से 2194 तथा 2196 से 2300)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11:01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>मध्याह्न 12:00 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.0 ½ बजे</u>

इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय समुद्री विश्वविदयालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आई.एम.यू./एच.क्यू./ए.डी.एम./अधिसूचना/2022/01 जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय समुद्री विश्वविदयालय के प्रशासनिक और अकादमिक मामलों संबंधी 2022 के अध्यादेश 1 से 4 से संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.7248/17/22]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और प्रस्थापना) संशोधन नियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7249/17/22]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1765(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डी.बी.एफ.ओ.टी. आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (नया एन.एच.-9) के हापुड़ बायपास से मुरादाबाद खण्ड सहित हापुड़ बायपास से मुरादाबाद खण्ड के किलोमीटर 50.000 (डिजाइन चैनेज किमी 50.000) से किलोमीटर 48.277 (डिजाइन चैनेज किमी 49.867) की छह लेन परियोजना के लिए दिनांक 07 मार्च, 2019 को प्रकाशित प्रशुल्क अधिसूचना सं. का.आ. 1141 (अ) में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1767(अ) जो ॥ अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 727 (पुराना एन.एच.-28 ख) के डिजाइन/वर्तमान चैनेज किमी 25.00 से किमी 97.00 (68.70 किमी की लंबाई वाले किमी 90 से किमी 9.4, किमी 93.0 से किमी 94.4 और किमी 96.5 से किमी 97.0 के अलावा) के खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1926(अ) जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 (नया एन.एच.-60) के खेड सिन्नार खंड की किमी 42.000 से किमी 179.946 की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 1927(अ) जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 848 (नासिक नगर निगम सीमा-रामशेज-उमराले-करंजली पेठ-गुजरात राज्य सीमा) के नासिक से पेठ की डिजाइन किलोमीटर

11.600 से किलोमीटर 65.115 (वर्तमान किमी. 11.600 से किमी. 65.600) के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पाँच) का.आ. 2032(अ) जो 2 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 14 सितंबर, 2021 को प्रकाशित प्रशुल्क अधिसूचना सं. का.आ. 3759(अ) में उपयोकता शुल्क संबंधी संशोधन अधिसूचना के बारे में है।

(छः) का.आ. 2248(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 (नया एन.एच.-49) के डिजाइन किलोमीटर 160.687 से डिजाइन किलोमीटर 216.334 (वर्तमान किमी. 178.944 से किमी. 241.553) के बनारी से मसनिया कला गांव खण्ड की बाह्य पट्टी सहित दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 2249(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में बाहय पट्टी/चार लेन मानकों के साथ दो लेन विकसित एन.एच.-548डी (लंबाई 32.172 किमी) के डिजाइन किलोमीटर 137+300 से किलोमीटर 169+472 (वर्तमान किमी. 45+877 से किमी. 13+689) खण्ड के मनजरसुंभा से चुम्बली फाटा के उपयोग के लिए तालिका एक के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर बाहय पट्टी खण्ड सहित दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2428(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 548क के डिजाइन 43.783 से 91.39 (वर्तमान किमी 44.933 से किमी 92.908) तक पटगांव खोपोली खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2607(अ) जो 7 जून, 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 (नया एन.एच.-28) के डिजाइन किलोमीटर

240.340 से किलोमीटर 263.360 (वर्तमान किलोमीटर 232.140 से किलोमीटर 253.760) और डिजाइन किलोमीटर 281.840 से किलोमीटर 299.350 (वर्तमान किमी. 271.140 से किमी. 287.950) तक घाघरा पुल से वाराणसी खंड की चार और अधिक लेन खंड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 2611(अ) जो 7 जून, 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 341 के डिजाइन किलोमीटर 65.478 से किलोमीटर 162.209 तक भुज खावड़ा धर्मशाला खंड बाह्य पट्टी सहित दो लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2648(अ) जो 9 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 के डिजाइन किलोमीटर 217.300 से किलोमीटर 233.350 (वर्तमान किमी. 217.300 से किमी. 233.350) तक रांची-महुलिया खंड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में हैं।

(बारह) का.आ. 2760(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 248क के डिजाइन किलोमीटर 92.400 से किलोमीटर 127.350 (वर्तमान किलोमीटर 92.400 से किलोमीटर 127.350) तक अलवर से नूह खंड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2891(अ) जो 23 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना एन.एच.-4) के डिजाइन किलोमीटर 592.240 से किलोमीटर 658.00 (वर्तमान किमी. 592.240 से किमी. 658.00) तक कागल-पेठ खंड के चार लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2890(अ) जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना एन.एच.-4) के डिजाइन

किलोमीटर 658.000 से किलोमीटर 725.000 (वर्तमान किमी. 658.000 से किमी. 725.000) तक पेठ-सतारा खंड के चार लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 2892(अ) जो 24 जून, 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152घ के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 227.020 (इस्माइलाबाद (गंघेरी) में 0.000 किमी. से शुरू होकर नारनौल बायपास पर किमी. 227.020 पर समाप्त) (लंबाई 227.020 किमी.) के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2942(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित, हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 के डिजाइन किलोमीटर 163.400 से किलोमीटर 215.800 तक शिवनगर से अंबिकापुर खंड के लिए उपयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2984(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (नया एन.एच. 848) के डिजाइन किलोमीटर 539.500 से किलोमीटर 563.00 (वर्तमान किलोमीटर 539.500 से किलोमीटर 563.00) तक वाडापे से ठाणे खंड के लिए के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 3036(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया एन.एच.-130) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 53.300 (वर्तमान किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 53.300) तक बिलासपुर से पथरापली खंड के चार लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7250/17/22]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 109 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2914(अ) जो 23 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 5419(अ) जो 28 दिसंबर के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7251/17/22)

(4)मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 212 की उपधारा (4), के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केंद्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 525(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेंट-ए-कैब (संशोधन) स्कीम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3202(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) रेंट ए मोटरसाईकिल (संशोधन) स्कीम, 2021 जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3220(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) केंद्रीय मोटर यान (17वां संशोधन) नियम, 2021 जो 17 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) केंद्रीय मोटर यान (20वां संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) केंद्रीय मोटर यान (19वां संशोधन) नियम, 2021जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 595(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केंद्रीय मोटर यान (18वां संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) का.आ. 3627(अ) जो 6 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है।

(नौ) केंद्रीय मोटर यान (21वां संशोधन) नियम, 2021 जो 23 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) मोटर यान (वाहन निपटान सुविधा का पंजीकरण और कृत्य) नियम, 2021 जो 23 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केंद्रीय मोटरयान (22वां संशोधन) नियम, 2021 जो 30 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) केंद्रीय मोटर यान (23वां संशोधन) नियम, 2021 जो 4 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) केंद्रीय मोटर यान (24वां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) केंद्रीय मोटर यान (25वां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) केंद्रीय मोटर यान (26वां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 15 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) केंद्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 27 जनवरी, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) का.आ. 359(अ) जो 27 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में हैं।

(अठ्ठारह) केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 25 फरवरी, 2022 को भारत के राजपत्र में में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 दिनांक 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.162(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तेईस) केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 28 फरवरी, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 164(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2022 जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 200(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) केंद्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2022 जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 233 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) केंद्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2022 जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) मोटर यान (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देनदारी) नियम, 2022 जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7252/17/22]

(6) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 4क के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2022 जो 22 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिपण्णी।

[ग्रंथालय में रखे गए , देखिए संख्या एल.टी.7253/17/22]

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी , देखिए संख्या एल.टी.7254/17/22]

(8) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 691(अ) जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2049 की धारा 44 के प्रभावी होने की तारीख के रूप में 5 फरवरी, 2022 को नियत किया गया है।

(दो) का.आ. 859 (अ) जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2049 की धाराओं के प्रभावी होने की तारीख के रूप में 1 फरवरी, 2022 को नियत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए , देखिए संख्या एल.टी.7255/17/22]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री कृष्ण पाल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ-राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ-राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7256/17/22]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण में मुक्त पहुंच) (पांचवां संशोधन)) विनियम, 2018 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन 01.05.2022 से प्रभावी होंगे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों हेतु निबंधन और शर्ते) विनियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/1/2022-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2022 जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन) संशोधन नियम, 2022 जो 6 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 418(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7257/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 13 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 442(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 जो 21 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (पंजीयक, काउंसेल तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7258/17/22]

(2) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 84 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 527(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सेवा की अर्हताएं, नियुक्ति तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 528(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 529(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7259/17/22]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2802(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 18 जून, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 2811(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7260/17/22]

माननीय सभापति : आइटम नंबर 6 – श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या भानु प्रताप जी बोल रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 6 - श्री मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, 6 नंबर वाला बोलना है। क्या करें, सोनिया गाँधी जी मॉफी नहीं माँग रही हैं **।...** (व्यवधान) उन्हें मॉफी माँग लेनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेघवाल जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7261/17/22]

(3) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7262/17/22]

(5) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) नियम, 2016 जो 1 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7263/17/22]

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1170(अ) में प्रकाशित हुए थे।।

(दो) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 दिसंबर 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1171(अ) में प्रकाशित हुए थे।।

(तीन) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे।।

(चार) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।।

(पाँच) पासपोर्ट आवेदन (सुविधा और प्रक्रिया) नियम, 2017 जो 24 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1063(अ) में प्रकाशित हुए थे।।

(छः) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 13 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1150(अ) में प्रकाशित हुए थे। ।

(सात) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 3 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1215(अ) में प्रकाशित हुए थे। ।

(आठ) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 3 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1366(अ) में प्रकाशित हुए थे। ।

(नौ) पासपोर्ट (पहला संशोधन) नियम, 2018 जो 18 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुआ।

(दस) पासपोर्ट (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।।

(ग्यारह) पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1117(अ) में प्रकाशित हुआ।

(बारह) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 933(अ) में प्रकाशित हुए थे।।

(तेरह) पासपोर्ट आवेदन (सुविधा और प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2020 जो 15 मई 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2020 जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) सा.का.नि. 732(अ) जो 17 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उन पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट सितम्बर, 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधान पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है ।

(सोलह) सा.का.नि. 195(अ) जो 17 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उन भारतीय नागरिकों को, जिन्हें 1 जून, 2015 से प्रभावी नौकायन जहाजों के चालक दल और सहयोगी के सदस्यों के रूप में छूट प्रदत्त थी, से कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट वापस लेना है।

(सत्रह) सा.का.नि. 272(अ) जो 3 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उन पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट नवम्बर, 2015 में तमिलनाडु राज्य में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 722(अ) जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मई, 1976 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 353(अ) को निरस्त किया गया है।

(उन्नीस) सा.का.नि. 723(अ) जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत के दूतावास, यंगून को एक समय एक वर्ष की अवधि के लिए म्यांमार संघ गणराज्य में निवासरत भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को, जो म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार द्वारा जारी विदेशी विषयक पंजीकरण प्रमाण-पत्र के धारक हैं, को पासपोर्ट जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

(बीस) सा.का.नि. 435(अ) जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन, सऊदी अरबिया सरकार द्वारा घोषित अनुकंपा अवधि के दौरान आपातकाल प्रमाण-पत्र प्रशुल्क की छूट के बारे में है।

(इक्कीस) सा.का.नि. 4966(अ) जो 25 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट अगस्त, 2018 में केरल राज्य में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अधीन पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है।

(बाईस) सा.का.नि. 756(अ) जो दिनांक 11 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन, ओमान सरकार द्वारा घोषित अनुकंपा अवधि के दौरान आपात प्रमाण-पत्र प्रशुल्क को माफ करने के बारे में है।

(तेईस) सा.का.नि.35(अ) जो 20 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन, ओमान सरकार द्वारा घोषित सर्वक्षमा योजना की अवधि के दौरान आपातकाल प्रमाण-पत्र प्रशुल्क को माफ करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 515(अ) जो 8 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उन पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट ओमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात "शाहीन" के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7264/17/22]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत का.आ.3217(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेस-1क के संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है।

(2) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत का.आ.3218(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के गलियारा-1 और गलियारा-2 के संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है।

(3) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत का.आ.3219(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आगरा मेट्रो रेल परियोजना के गलियारा-1 और गलियारा-2 के संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7265/17/22]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गए, देखिए संख्या एल.टी. 7266/17/22)

(3) (एक) राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, दिरांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, दिरांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7267/17/22]

(5) (एक) हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7268/17/22]

(7) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.नि.आ. 9 जो 23 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि अधिसूचना में यथाविर्निदिष्ट सेवा और विशेषज्ञताओं की अपेक्षा के अनुसार, उसमें उल्लिखित शाखाओं में नाविकों के रूप में महिलाएं भारतीय नौसेना में नामांकन के लिए अर्हक होंगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7269/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री भगवंत खुबा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7270/17/22]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉक्टर भारती प्रवीण पवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7271/17/22]

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 और 2020-

2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7272/17/22]

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7273/17/22]

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7274/17/22]

(9) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषध (5वां संशोधन) नियम, 2022 जो 1 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7274/17/22]

(10) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (वीगन भोजन) विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. मानक/टी.एफ.-वीगन भोजन/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलिक बेवरेजेस) पहला संशोधन विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याएफ संख्या मानक/एस.पी.-21/टी.(अल्कोहल -5) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7276/17/22]

(11) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1907(अ) जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के लिए केंद्रीय सरकार स्तर पर प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में समुचित प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 2073(अ) जो दिनांक 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में, उसमें उल्लिखित संबंधित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले समुचित पदाधिकारी को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 2074(अ) जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार स्तर पर प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में उसमें उल्लिखित संबंधित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले यू.टी. बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 2075(अ) जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त

जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ विधायिका वाले प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में उसमें उल्लिखित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले यू.टी. बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 2076(अ) जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित संबंधित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले राष्ट्रिय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) बोर्ड के संघटन को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7277/17/22]

(12) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) सरोगेसी (विनियमन) कठिनाइयों को दूर करना आदेश, 2022 जो 12 मई, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2204(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 2317(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 से 'पदेन' शब्द के विलोपन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7278/17/22]

(13) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (अनिवार्य आवर्ती आयुर्विज्ञान इंटर्नशिप) विनियम, 2021 जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू.जी.एम.ई.बी./एन.एम.सी./नियम और विनियम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेनसिएट) विनियम, 2021 जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू.जी.एम.ई.बी./एन.एम.सी./नियम और विनियम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों में रैगिंग का निवारण और प्रतिषेध) विनियम, 2021 जो 20 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू.जी.एम.ई.बी./एन.एम.सी./नियम और विनियम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चिकित्सा संस्थानों के अध्यापक अर्हता योग्यताएं विनियम 2022 जो 22 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एन.एम.सी./एम.सी.आई.-23(आई)/2021-एम.ई.डी. में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7279/17/22]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7280/17/22]

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉक्टर (प्रो.) महेन्द्रभाई मुंजपरा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) उत्तर-पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलौंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलौंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7281/17/22]

(3) (एक) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.7282/17/22]

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 28 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकृत किया है :-

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में, उक्त समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए शामिल हो और, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

2. मैं लोक सभा को यह सूचना भी देता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में आरंभ की गई निर्वाचन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, उक्त समिति के लिए राज्य सभा के नौ सदस्य निर्वाचित किए गए और उनके नाम 1 अप्रैल, 2022 के राज्य सभा के एक संदेश के माध्यम से लोक सभा को सूचित किए गए।

3. समिति की शेष एक रिक्ति को भरे जाने के लिए भी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, श्री राम नाथ ठाकुर, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए हैं।'

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 21 अप्रैल, 2022 से 26 अप्रैल, 2022 तक अगाती, कोच्चि, कुर्ग और बेंगलुरु का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

<u>अपराह्न 12.04 1⁄2 बजे</u>

<u>उद्योग संबंधी स्थायी समिति</u>

317वां प्रतिवेदन

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड मोबिलिटी – ऑटोमोबाइल उद्योग में संभावनाएं और चुनौतियां' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 309वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों, टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 317वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(एक) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7245/17/22

अपराह्न 12.05 ½ बजे

(दो) (क) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) पर रसायन और उर्वरक पर स्थायी के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री भगवंत खुबा की ओर से, मैं रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2019-2020) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7246/17/22

(ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2020-2021) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के तरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री भगवंत खुबा की ओर से, मैं रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2020-2021) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7247/17/22

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सोमवार, 1 अगस्त, 2022 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जिसमें शामिल होंगे:-

1. आज की कार्य-सूची से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार करना: *[इसमें:-* वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाना और पारित किया जाना।] शामिल है।

2. समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019 पर विचार और पारित करना।

3. पुर: स्थापन के बाद निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करनाः-

(एक) केंद्रीय वि(श्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022;

(दो) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022;

(तीन)प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022; और

(चार) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

माननीय सभापति: नियम 377 के अंतर्गत जिन माननीय सदस्यों के विषय स्वीकृत हुए हैं, वे कृपया सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) ओडिशा के कालाहाण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप की स्थापना के बारे में

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा क्षेत्र कालाहांडी देश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमें दो जिले नुआपड़ा और कालाहांडी है जो कि आज भी कई सुविधाओं से वंचित हैं और दोनों ही जिले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। लोग काम के अभाव में राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करते है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्रीय सरकार ने मेरे क्षेत्र कालाहांडी के नरला विधानसभा में एक नई रेलवे परियोजना “इलेक्ट्रिक लोको पेरिओडिकल ओवरहालिंग वर्कशॉप" की रु. 186.37 करोड़ की लागत से मंजूरी दी है। लेकिन अब तक कार्य आरंभ नहीं हुआ। इस परियोजना के लिए ओडिशा सरकार द्वारा 328.35 एकड़ जमीन रेलवे को प्रदान की जानी है, जिसमें से 141.07 एकड़ भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है।

---

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त परियोजना को संज्ञान में लिया जाए और रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कार्य प्रारंभ करने की कृपा करें ताकि एक उद्योग की भी शुरुआत हो जाए और रोजगार का भी सृजन हो सके। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तर्ज पर और नए रोजगार स्थापित करने के लिए यह कार्य बहुत ही आवश्यक है।

(दो) राजस्थान में झुन्झुनू से पचेरी तक एन.एच.-11 को चार में परिवर्तित किए जाने और चिड़ावा और सिंघाना में बाईपास सड़क का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): मेरे लोक सभा क्षेत्र से गुजरने वाला एन.एच. 11 जैसलमेर – बीकानेर फतेहपुर - झुन्झुनू - सिघाना पचेरी - नारनोल - रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा हरियाणा सीमा में पचेरी - नारनोल- रेवाड़ी खण्ड सड़क को फोर लेन बना दिया गया है। परन्तु झुंझुनूं से पचेरी सड़क पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है, चूकिं चिड़ावा - पचेरी खण्ड पर जो टोल संग्रहण चल रहा था वो अब दिनांक 16-07- 2022 से बंद कर दिया गया है इसलिए दिल्ली से सीधा बीकानेर - जैसलमेर को मिलाने वाली सड़क मार्ग में पचेरी राज्य सीमा से झुंझुनूं खण्ड में लम्बे वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए पचेरी राज्य सीमा से झुंझुनूं खण्ड को फोर लाईन बनाया जावे जिससे इस एन.एच. 11 पर चलने वाले वाहनों का अच्छा सड़क मार्ग उपलब्ध हो। इससे जिले की व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी से सुगमता आएगी। एन.एच.11 (चिड़ावा-सिंघाना) शहर के अन्दर से गुजर रहा है जिसमें दिल्ली से जैसलमेर लंबी दूरी के वाहनों को गुजरने में समस्या होती है ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है जिसके कारण वाहन घंटो तक जाम में फसे रहते है इस समस्या को दूर करने के लिए चिड़ावा एवं संघाना में बाईपास सड़क का निर्माण करवाया जाए जिससे समस्या का समाधान हो सके।

(तीन) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के किसानों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने के बारे में

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में से किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिये किसानों को खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों के लिये 1.5 प्रतिशत का सामान्य प्रीमियम भुगतान किया जाता है।

2019-20 में झांसी जनपद में अत्यधिक वर्षा होने के कारण फसल का शत प्रतिशत नुकसान हुआ था। वर्ष 2019-20 में जनपद झांसी में 49,507 किसानों को बैंक की गलती के कारण फसल बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर 33246 किसानों का डेटा अपलोड नहीं किया गया और 16261 किसानों का डेटा गलत अपलोड करने के कारण कुल 49507 किसानो की एक सौ तीस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। बैंकों की कथित घोर लापरवाही के कारण किसानों को खरीफ 2019-20 की फसल बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

(चार) महाराष्ट्र के माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'खेलो इंडिया' केंद्रों की स्थापना के बारे में

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): मेरे माधा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र के सतारा और सोलापुर जिलों के 6 विधान सभा क्षेत्र हैं जिनके नाम हैं - माधा, करमाला, सांगोल, मालशिरस, फाल्टन और मान महाराष्ट्र के इन सभी जिलों व तालुकों में खेलगत ढांचा लगभग नगण्य हैं। इन सभी जिलों व तालुकों में खेलो इंडिया केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के तथा विशेषत: इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान युवक / युवतियों का चयन कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए तैयार किया जा सके। आदरणीय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 1000 जिला स्तरीय खेलो इंडिया केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा इस हेतु पहले चरण में 100 जिलों की पहचान की जा रही है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र माधा के सभी विधान सभा क्षेत्रों में कम से कम एक एक खेलो इंडिया केन्द्र की स्थापना की जाए तथा इन केन्द्रों में सरकार द्वारा चयनित सभी 14 खेल विधाओं हेतु आवश्यक ढांचागत सुविधाओं सहित इन सभी खेलों में प्रशिक्षत कोचों द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय खेल मंत्री जी को पत्र लिखकर निवेदन भी किया है।

(पांच) राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय को मध्य प्रदेश से जावरा से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण किए जाने के बारे में

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ (राज.) जिला एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वर्तमान में दिल्ली से मुम्बई के लिये 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है जो कि प्रतापगढ़ जिले के पास से ही मध्यप्रदेश के जावरा के निकट से गुजर रहा है। प्रतापगढ़ जिले को यदि इस एक्सप्रेसवे के निकटतम शहर जावरा तक सड़क के द्वारा सम्पर्क हो जाता है तो प्रतापगढ़वासियों के लिये सड़क के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक सौगात होगी। इस एक्सप्रेस-वे के जावरा से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय वाया अरनोद जिसकी दूरी लगभग 62 किलोमीटर है वहाँ के लिये एक राजमार्ग का निर्माण होने पर शेष देश तथा देश की राजधानी दिल्ली का आर्थिक राजधानी मुम्बई से प्रतापगढ़ का सीधा जुड़ाव हो जायेगा, जिससे यहाँ पर शिक्षा उद्योग एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

(छह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 को दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राई-साइकिल वितरण शामिल करने के उद्देश्य से संशोधित किए जाने के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये एमपीलेड्स दिशा निर्देशों के अन्तर्गत केवल तिपहिया साईकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित), मोटरयुक्त/बैटरी संचालित व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग खरीदने के लिये राशि दी जाती है। जबकि विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत विकलांगो को तिपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जा रही है। मैंने गत वर्ष एमपीलेड्स से 24 विकलांगजनों को नियमानुसार देय उक्त मोटरयुक्त ट्राईसाईकिल का वितरण करवाया था और पात्र विकलांगजनों ने मुझे उक्त ट्राईसाईकिल की गुणवत्ता के साथ-साथ क्षमता में भी कमी के कारण चढ़ाई एवं ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों में सुविधा की जगह तकलीफ देय होने के कारण उन्हें चलाने में आ रही कठिनाईयों के बारे में अवगत कराया। जब एमपीलेड्स के नियम बने थे तब इलेक्ट्रीक स्कूटी अस्तित्व में नही थी तत्समय मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल ही सबसे उपयुक्त साधन था, किन्तु समय बदलने के साथ-साथ तकनीक में भी परिवर्तन हुआ और बैट्रीचालित स्कूटी वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित और उपयोगी हो रही है। यह दिव्यांगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है इसलिये इलेक्ट्रीक वाहनों के उपयोग के बढते महत्व को दृष्टिगत रखते हुये तथा एमपीलेड्स नियमों में संशोधन कराते हुये विकलांगजनो को देय तिपहिया साईकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित) के साथ-साथ इलेक्ट्रिक तिपहिया स्कूटी मुहैया कराए जाने की जरूरत है। अतः केन्द्रीय ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज मंत्री महोदय से निवेदन है कि एमपीलेड्स दिशा-निर्देशो के पैरा संख्या 3.28 में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये स्वीकृत होने वाली तिपहिया साईकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित), मोटरयुक्त/बैटरी संचालित व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग खरीदने के साथ-साथ उसमें इलेक्ट्रिक तिपहिया स्कूटी को भी सम्मिलित कर विकलांगजनो को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता कराकर उन्हे आवागमन का सुलभ साधन प्रदान करायें।

(सात) धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर शहर रेल लाइन परियोजना के बारे में

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): धौलपुर – सरमथुरा – करौली - गंगापुरसिटी रेल परियोजना के प्रथम चरण धौलपुर से सरमथुरा तक गेज परिवर्तन (नैरोगेज से ब्रॉडगेज) के साथ - साथ ही इसके द्वितीय चरण से सरमथुरा से गंगापुरसिटी तक नवीन रेल लाईन बिछाने के कार्य को भी शीघ्र आरंभ किया जाए।

(आठ) यमुना एक्सप्रेस-वे का विस्तार हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब तक किए जाने के बारे में

श्री संजय भाटिया (करनाल): यमुना एक्सप्रेसवे के नए खंड को हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल व यमुनानगर के रास्ते हिमाचल प्रदेश के पौंटा साहिब तक विस्तारित किया जा सकता है। यूं तो यमुना नदी के साथ लगते इस मार्ग का लोग आज भी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से पौंटा साहिब तक लगभग 250 किलोमीटर लंबा यह मार्ग विधिवत रूप से उच्च गुणवत्ता वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाए तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड सहित छह राज्यों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ऐसा वैकल्पिक राजमार्ग बन जाने पर सैकड़ों वर्ष पुराने जीटी रोड पर यातायात का बोझ कम होगा। दुर्घटनाओं में कमी आएगी और समूचे क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास होगा। किसानों व आम लोगों को लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। साबरमती और गंगा नदी की तर्ज पर रिवरफ्रंट का विकास भी किया जा सकता है।

(नौ) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूरसंचार को सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल टॉवर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नक्सल प्रभावित ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्टविटी एवं मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु मैं 2-3 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ परन्तु अभी तक सफलता नही मिल पायी है, जिसके कारण घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के झाँटीझरणा, गुडाबांधा, हडियानमजियान, बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के चाकुलिया प्रखंड के अंतर्गत बुडीकानपुर, फलदोहा, दक्षिणासोल, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पटमदा प्रखंड अंतर्गत जुडिसा, हुडुमबिल, बोडाम, लाचलम, मुकरूडीह, भुईया सिनान एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र के डुमुरिया प्रखंड अंतर्गत केन्दुआ, भंगबांधडीह, कवाली के ग्रामीण इलाको में इंटरनेट कनेक्टविटी एवं मोबाईल टावर नहीं रहने के कारण लगभग 74 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाईन नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं हो पाया एवं जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर राशन लाभार्थियों को मशीन का बटन नहीं दबने के कारण राशन लेने में, साथ ही यहाँ के लोग बात करने के लिए मोबाईल में भी टावर नहीं होने पर पेड़ों पर चढ़कर बात किया करते है। उपरोक्त स्थानों पर आज के डिजिटल इंडिया के युग में नेटवर्क एवं मोबाइल टावर नहीं होने के कारण जनता को नाना प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं गृह एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उक्त स्थानों पर संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्टविटी एवं मोबाइल टावरों की स्थापना करने की कृपा की जाय।

(10) बिहार में कोसी परियोजना के बारे में

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): मैं सरकार का ध्यान बिहार की कोशी परियोजना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बिहार में कोशी परियोजना नेहरू कालीन परियोजना है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। किसानों की हजारों एकड़ जमीन में नहर की खुदाई की गई लेकिन अभी तक किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच सका। कोशी परियोजना के नाम पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपये पानी की तरह बहाये जाते हैं और इसमें कथित रूप से घोर अनिमितताएँ व्याप्त हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि संपूर्ण परियोजना का एक विशेष कमिटी द्वारा पुर्नअध्ययन करवा कर बदलते आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में किसान के हितों का ध्यान रखते हुए, इस परियोजना को पूर्ण कराया जाए ताकि बिहार के किसानों में खुशहाली आ सके।

(ग्यारह) अग्निपथ योजना के बारे में

[अनुवाद]

श्री हैबी ईडन (एरनाकुलम): सरकार द्वारा 14 जून को सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना से भारतीय लोकतंत्र को दीर्घकालिक रूप से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अग्निपथ इस देश के बेरोजगार युवाओं को सुरक्षित भविष्य प्रदान नहीं करेगा। हमारे देश के सैनिकों का सरकार द्वारा सर्वोत्तम ध्यान रखा जाना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सेना में युवाओं की अस्थायी भर्ती से पेंशन का बोझ कम करने का प्रयास व्यावहारिक नहीं है। यह योजना न तो नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन देती है और न ही पेंशन के अन्य लाभों का। ऐसा लगता है कि सरकार हमारे वीर जवानों और युवाओं के कल्याण से हाथ खींच रही है।

(बारह) उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बारे में

श्री कुरुवा गोरांतला माधव (हिंदुपुर): बढ़ती महंगाई ने देश के आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है, देश भर के प्रमुख मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर 1,000 रुपये तक की कीमत पर मिल रहा है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष अधिकतम 12 सिलेंडर के लिए 200 रुपये प्रति एल.पी.जी. सिलेंडर की सब्सिडी की घोषणा की।

हम केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं और इसका पूर्ण समर्थन भी करते हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की सब्सिडी में उज्ज्वला योजना के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को ही शामिल किया जाएगा।

इस घोषणा में अभी भी बड़ी संख्या में निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के लोग शामिल नहीं हैं, जिन्होंने पिछले दो वर्षों में बहुत कुछ झेला है। राजसहायता केवल 200 रुपये तक सीमित है, जिससे प्रभावी रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत इसकी वर्तमान कीमत की तुलना में 800 रुपये हो जाएगी।

अतः इस मामले में मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की माँग करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उन सभी लोगों को एल.पी.जी. सब्सिडी का लाभ प्रदान करें जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है और सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 400 रुपये कर दें।

(तेरह) भारी वर्षा से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता के बारे में

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, प्रतिवर्ष जून से अक्टूबर के बीच होने वाली बारिश के कारण कई लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल को नुकसान पहुँचाता है जबकि किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देने की घोषणा करती है जबकि केंद्र सरकार द्वारा जितनी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए होती है किसानों को उतनी सहायता नहीं मिलती है। जब भी देश के किसी भी राज्य में विभिन्न कारणों से किसानों की फसल बरबाद होती है या किसानों को किसी तरह का नुकसान होता है तब केंद्र द्वारा सर्वे टीम को 15 दिन या महीने बाद नुकसान का जायजा लेने भेजा जाता है जबकि इतनी देरी होने से, किसानों को हुए वास्तविक नुकसान का पता नहीं चलता है और नुकसान का केवल सरकारी कागजों तक ही पता चल पाता है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस बारिश के कारण किसानों को जानमाल, सम्पत्ति और पशुधन के नुकसान की भरपाई हेतु सहायता की राशि को बढ़ाया जाय और राज्यों से जो भी प्रस्ताव इस सहायता हेतु भेजे जाएं उन्हें जल्दी से जल्दी स्वीकृत कर देश के किसानों को राहत दी जाये।

माननीय सभापति : कृपया शांत हो जाइये। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 अगस्त, 2022 / 10 श्रावण, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित